# कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट खंडार

कमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/1452 दिनांक 14.09.2020

## :: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता::

मुझे यह अवगत कराया गया है कि जिला सवाईमाधोपुर के उपखण्ड क्षेत्र खंण्डार **में व्यक्तियों को कोरोना वायरस (कोविड–19) से संकमित (पॉजिटिव)** पायें जाने से उपखण्ड क्षेत्र खण्डार में कोरोना वायरस के अत्यधिक संकमण की सम्भावना होकर नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों में मेरा समाधान हो गया है एवं मै पूर्णतया संतुष्ट हूँ कि ऐसी परिस्थिति में प्रथम दृष्टया सवाई माधोपुर जिले में उपखण्ड क्षेत्र खण्डार ग्रामीण क्षेत्र खंडार के **ग्राम हरिपुरा ढाणी, कारौली घाटा में** निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से **दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 की तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा** जारी की जावे।

**अतः मैं सुनील कुमार झिंगोनियां (R.A.S)** उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला **मजिस्ट्रेट, खण्डार** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश कमांक 2107 दिनांक 18.03.2020 व संशोधित आदेश कमांक 2204 दिनांक 22.03.2020 व 2447 दिनांक 31.03.2020 व 4397 दिनांक 01.06.2020 तथा 7609 दिनांक 01.07.2020 की निरन्तरता में एवं अनलॉक–2 के आदेश कमांक 7585 दिनांक 01.07.2020 में अंकित बिन्दू संख्या "**A**" के कम में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत उपखण्ड क्षेत्र खण्डार **में स्थित** तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/न्याय/कोरोना/2020/893 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार टिना जॉगिड़/काशीराम जाट के मकान को केन्द्र बिदू मानते हुए उपखंड क्षेत्र खंडार में स्थित निम्नांकित ग्रामों के परिक्षेत्र –

**ग्राम हरिपुरा ढाणी**

1. **टिना पत्नि रामलखन जाति जॉगिड़ निवासी हरिपुरा ढाणी** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दू मानते हुए पश्चिम की और खेत है कोई मकान नही है। पूर्व की और बाबूलाल मेरोठा के मकान तक एवं सामने वाली गली में हनुमान जॉगिड़ के मकान को जो पूर्व की और है से पश्चिम में कोई मकान नही हाने तक।

**ग्राम कारौली घाटा**

1. **काशीराम जाट पुत्र बदरी जाट निवासी कारौली घाटा** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दू मानते हुए उत्तर में लडडू पुत्र मांग्या जाट का बाडा व ओबरा व दक्षिण में रामफूल पुत्र मोत्या जाट के मकान तथा कोरोना पॉजिटिव के पूर्व में रामस्वरूप पण्डित के वाडे से इन्द्रजीत पुत्र रामकिशन जाट के मकान तक **(Containment Zone)** घोषित कर उक्त क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से **जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (CURFEW)** निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि–

1. कोरोना वायरस के संकमण की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नही करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिग ऐरिया–जनसाधारण की सख्ती से आगमन–निर्गमन ) प्रतिवंधित किया जाता है।
2. उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर अन्य व्यवसायिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

उप जिला मजिस्ट्रेट
खण्डार

3. उपरोक्त क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यक सेवाओं (किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, सब्जी, गैस की दुकाने, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) के संचालन के लिये चिन्हित होम डिलीवरी के पास मान्य होगें।
4. उपरोक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति यथा पानी, बिजली आदि की आपूर्ति नियमित रूप से संचालित रहेगी तथा दैनिक खाद्य वस्तुओ यथा फल–सब्जी, किराना, दवाईयों की आपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा होम–डिलीवरी की जावेगी।
5. उक्त वर्णित जीरो मोबीलिटी क्षेत्र में पूर्व जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतिया/अनुमति–पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।
6. उक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओ के लिये कर्फ्यू–पास इस कार्यालय द्वारा जारी किया जावेगा। समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
7. आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी/ कर्मचारियों के आवगमन के साधन उपयोग के लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे साथ ही उपखण्ड क्षेत्र की व्यवस्था से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग, नगर परिषद्, विकास अधिकारी, द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
8. उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नही करे और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा।
9. यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नही होगा, परन्तु उन्हे चिकित्सकीय लाभ हेतु निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र से प्राथमिक उपचार लिया जावेगा।
10. उक्त क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों मे आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु प्रबन्धन द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त कर धार्मिक स्थल की साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्ति को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु जा सकते है, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना के स्तर पर संधारित होगी।
11. कोई भी व्यक्ति या संस्था नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में दुष्प्रचार व तथ्यहीन समाचारो यथा Face Book, Twitter, Whats App, Youtube अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से नही करेगा। इसके उल्लघंन पर आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत भी विधिक कार्यवाही की जावेगी।
12. समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। खाद्य सामग्री, दवाईयां, सब्जियों, दूध, गैस इत्यादि अतिआवश्यक सेवाओं के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त कर कर्फ्यू क्षेत्र में आ–जा सकते है।
13. उपरोक्त क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं (पानी, बिजली, किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, फल–सब्जी, गैस की दुकाने, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) की आपूर्ति रसद विभाग, जलदाय विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विभाग, नगर परिषद्, विकास अधिकारी, की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
14. मै उक्त क्षेत्र में सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के सु–संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जावेगा।
15. उक्त जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व पुलिस उपाधिक्षक (ग्रामीण) वृत्त सवाई माधोपुर एवं तहसीलदार खण्डार का होगा।

उप जिला मजिस्ट्रेट
खण्डार

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील करवाया जाना संभव नही है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सवाईमाधोपुर जिले के सम्पूर्ण संदर्भित क्षेत्रों में मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनि प्रसारण यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2020 को 11:00 ए.एम बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

( सुनील कुमार झिंगोनियां )
उप जिला मजिस्ट्रेट
खण्डार

कमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/ 1453 दिनांक 14.09.2020

**प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–**

1. श्रीमान जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, सवाई माधोपर
3. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
5. पुलिस उपाधीक्षक (ग्रामीण) वृत्त सवाईमाधोपुर को संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना कराने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी वाररूम/कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर।
7. तहसीलदार/विकास अधिकारी खंडार संबंधित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
9. मुख्य ब्लॉक चिकित्साधिकारी खंडार को भिजवाई जाकर लेख है कि संपूर्ण कटेमेन्ट जॉन की स्केनिंग एवं कोविड़–19 की जांच करवाई जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को दो दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. सहायक अभियंन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंडार को भिजवाई जाकर लेख है कि बेरिकेटिंग हेतु संबंधित को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाकर पालनार्थ।
11. थानाधिकारी थाना खण्डार/बहरॉवण्डां कलॉ को भिजवाई जाकर लेख है कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र को बेरिकेटिंग से सील करवाकर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
12. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सवाई माधोपुर को समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
13. संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप अध्यक्ष/संयोजक क्वांरंटाइन प्रबन्धन समिति (पी.ई.ई.ओ) को भिजवाई जाकर लेख है कि संबंधित ग्राम पंचायत के मरीजों एवं उनके संपर्क में आने वाले परिजनों/व्यक्तियों पर पूर्ण निगरानी रखी जाकर आईसोलेशन/होम क्वांरेन्टाइन की पूर्ण पालना करवावें।
14. सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को पालनार्थ।

उप जिला मजिस्ट्रेट
खण्डार